which may suggest that the industrialists and businessmen in the State of Assam are transferring their bank deposits to the banks outside the State. The deposit mobilisation in the State of Assam has shown an increasing trend during the last three years as will be seen from the table below:

(Rs. in crores)

Year	Deposits
December, 1988	1634
December, 1989	1811
December, 1990	2031
March, 1991	2178

(b) to (d) Do not arise.

Export of Iron ore, Manganese and Granite

1243. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of iron and Manganese ore exported from Karnataka through the MMTC and NMDC and the amount of foreign exchange earned; and

(b) the quantity of granite, raw and ground polished exported *via* New Mangalore Port and other smaller ports on the West Coast of India and the amount of foreign exchange earned?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The quantity and value of iron Ore and Manganese Ore exported from Karnataka by MMTC during 1990-91 was as under:

	Qty. in lakh tonnes Value in Rs. crores Qty.	Value
Iron Ore	56.78	216.61 (Prov.)
Manganese Ore	1.65	20.00(Prov.)

In addition, Iron ore of Karnataka origin is blended on 60:40 basis with ore of Goan origin for export. The quantity and value of such ore exported by MMTC from Goa during 1990-91 was Rs. 8.53 lakh tonnes valued at Rs. 24.78 crores.

(b) The quantity and value of exports of Granite, both Granite blocks and cutt and polished Granite, *via* New Mangalore Port during 1990-91 were as under:

Qty. in '000 MT
Val. in Rs. crores

Port	Qty.	Value
New Mangalore	328.5	101.8

From other ports (excluding Madras) 28,100 tonnes of Granite valued at Rs. 8.7 crores were exported during 1990-91. Break-up of exports from Western and Eastern Coasts is not available.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन का भुगतान न किया जाना

1244 श्रीमती वीणा वर्मा :
डा० अबरार अहमद :
श्रीमती सत्या बहिन :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत चलायी जा रही आंगनवाड़ी स्कीम के कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है जबकि स्वयं केन्द्रीय सरकार ने 840 रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है; यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना वेतन दिया जा रहा है और ये वेतन कब से दिया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिये जा रहे वेतन पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव रखती है; यदि हां, तो कब तक।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का (अतिरिक्त प्रभार) (कु. ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाए स्थानीय समुदाय से चुनी हुई अवैतनिक और अंशकालिक स्वैच्छक कार्यकर्ता होतीं हैं। अतः वे न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कवर नहीं होतीं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए निर्धारित मानदेय (1 जुलाई, 1986 से लागू) निम्नानुसार हैं :

(ii) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	रु० प्रतिमाह
मैट्रिकुलेट	275.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो	300.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो	325.00
नान-मैट्रिक	225.00
नान-मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो	250.00
नान-मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो	275.00
(ii) सहायिका	110.00

(ग) जी, हां। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में संशोधन करने का मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

इन्दौर के निकट शुष्क बन्दरगाह की स्थापना

1245. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर के निकट एक शुष्क-बन्दरगाह स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में सरकार को एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पहले ही भेजा जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शुष्क बन्दरगाह कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देगी; और

(ग) शुष्क-बन्दरगाह से कुल कितने निर्यात होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिम० ने मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर राज्य में शुष्क बन्दरगाहों की स्थापना के बारे में एक व्यवहार्यता अध्ययन किया है। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि चारों क्षेत्रों में से निर्यात/